न्यायालय माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प, भोपाल म०प्र०

---

नि० - 1817-PBR-14

पुनरीक्षण क्रमांक-

पन्नालाल आ० स्व० किशनलाल आयु-वयस्क
निवासी ग्राम परवलियासा सानी, तहसील हुजूर,
जिला भोपाल [म०प्र०] -------पुनरीक्षणकर्ता/शिकायतकर्ता

विरूद्ध

बृजमोहन आ० श्री प्रभुलाल आयु-वयस्क
निवासी ग्राम परवलियसा सानी तहसील हुजूर
जिला भोपाल [म०प्र०] -------अनावेदकगण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-50 म०प्र०भू०रा०संहिता-1959 एवम् शिकायत पत्र

---

आवेदक पन्नालाल द्वारा आज दिनांक 13-6-14 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत। 13-6-14

पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदारतहसील हुजूर वृत-1, भोपाल पीठासीन अधिकारी श्री रघुवीरसिंह मरावी द्वारा अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-250 [1] म०प्र०भू०रा०संहिता के प्रकरण क्रमांक-1/अ-70/09-10 का निर्णय दिनाक 8-1-2014 को पारित किया गया जिसके विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता ने अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तह० हुजूर, जिला भोपाल के समक्ष अंतर्गत धारा-44[1] म०प्र०भू०रा०संहिता के अंतर्गत अपील प्रस्तुत किया जिसकी पेशी 17-6-14 को है। उक्त अपील के साथ धारा-52 म०प्र०भू०रा०संहिता के अंतर्गत स्थगन प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया उक्त आवेदन पत्र को अनुविभागीय द्वारा न तो निरस्त किया गया और न ही कोई आदेश पारित किया गया और आज दिनाक तक उक्तप्रस्तुत अपील का पंजीयन तक नही किया गया उक्त प्रोसीडिंग कार्यवाहियों से दुखित होकर यह पुनरीक्षण/शिकायत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 1817–पीबीआर/2014 जिला भोपाल

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 10–7–2014 | आवेदक पन्नालालं स्वयं उपस्थित । ग्राह्यता पर सुना गया । आवेदक का तर्क है कि तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी न तो प्रकरण का पंजीबद्ध किया गया है, और न ही स्थगन आवेदन पत्र का निराकरण किया गया है, जिस कारण तहसीलदार के आदेश दिनांक 8–1–2014 के पालन में आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि से बेदखल किया जा रहा है । यदि आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि से बेदखल कर दिया गया तो उसे अपूर्णीय क्षति होगी । उपरोक्त तर्कों के परिप्रेक्ष्य में न्यायहित में अनुविभागीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि आदेश प्राप्ति के 10 दिवस के अन्दर आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रथम अपील पंजीबद्ध कर स्थगन आवेदन पत्र पर आवेदक को सुनकर निर्णय लें एवं इस न्यायालय को की गई कार्यवाही से अवगत करायें । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्थगन पर निर्णय लेने तक तहसीलदार के आदेश दिनांक 8–1–2014 का कियान्वयन अस्थाई तौर से स्थगित किया जाता है ।<br><br>इस प्रकरण में और काई कार्यवाही शेष नहीं होने से ग्राह्यता के स्तर पर समाप्त किया जाता है ।<br><br>(स्वदीप सिंह)<br>अध्यक्ष | |